कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम,
'' भण्डारण भवन '' न्यू हैदराबाद,
लखनऊ।

अल्पकालीन निविदा सूचना

निगम की एम्बेसडर कार सं0–UP 32 BS 1510 (पेट्रोल चालित) **''जहाँ है, जिस रूप में है''** की बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदायें दि0–05.02.19 अपराह्न 2.30 बजे तक आमत्रिंत की जाती है, जो दि0–05.02.19 को 3.00 बजे निगम मुख्यालय में खोली जायेगी। निविदा फार्म दि0–05.02.19 को अपराहन 2.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निगम के मुख्यालय से रू0–100.00(रूपये एक सौ) प्रति (कर अतिरिक्त) भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। जो किसी भी दशा में वापस नही होगा।

उक्त वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में निगम के मुख्यालय में प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे किया जा सकता है। एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा । निविदा की विस्तृत जानकारी निगम की बेबसाइट www.upswc.com पर देखी जा सकती है।

कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, भण्डारण भवन, न्यू हैदराबाद लखनऊ।
स0–रा0भ0नि0 / **18392** / सामान्य / एस–7 / कार बिक्री / 2018–19, दिनॉकः–**15.01.19**

टर्म्स एण्ड कण्डीशन

1. इस निगम की एम्बेसडर संख्या– **UP 32 BS 1510 " जहॉ है जिस रूप में है "** की बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म रू0–100.00 (रूपये एक सौ) (कर अतिरिक्त) नगद जमा कर कैशियर से प्राप्त की जा सकती है, जो किसी दशा में वापस नही किया जाएगा ।
2. प्रत्येक निविदा के साथ रू0–5,000.00 (रूपये पॉच हजार) मात्र की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो " **यू0पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन**" के नाम देय होगी, संलग्न करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की धनराशि धरोहर राशि में समायोजन मान्य न होगा । बिना धरोहर राशि की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
3. निविदायें दिनॉक–05.02.19 को दोपहर 2.30 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे निर्धारित स्थल पर गठित कमेटी तथा उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी ।
4. वाहन संख्या–**UP 32 BS 1510** का न्यूनतम विक्रय मूल्य रू0–32,000.00 (रूपये बत्तीस हजार) मात्र निर्धारित किया गया है, इससे कम मूल्य की निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
5. निगम को एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
6. कार का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बिक्री स्थल पर किया जा सकता है। निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा देने से पूर्व कार का भली–भॉति निरीक्षण कर लें। बिक्री के बाद कार के संबंध में कोई शिकायत मान्य न होगी। कार की डिलीवरी निरीक्षण स्थिति के अनुसार ही दी जायेगी।
7. यदि यह सन्देह होता है कि निविदायें रिंग बनाकर अथवा किसी पूर्व नियोजित उद्देश्य से डाली गयी है और कार की कीमत ठीक नही लग रही है ,तो बिक्री कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह निविदायें निरस्त कर दें और बिक्री स्थगित कर दें।
8. निविदाओं पर अन्तिम निर्णयोपरान्त गाड़ी की जिम्मेदारी स्वंय क्रेता की होगी, निगम इसके लिये उत्तरदायी न होगा ।
9. कार क्रय करने वाले व्यक्ति को निविदा की अधिकतम राशि के अतिरिक्त उस पर देय कर, अनुपातिक रोड टैक्स एवं बीमा की धनराशि 05 (पॉच दिन) के अन्दर जमा कर कार की डिलीवरी प्राप्त करनी होगी अन्यथा समस्त जमा धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जायेगी ।

(विजय कुमार गुप्ता)
प्र0प्रबन्धक (सामा0प्रशा0)